दिनांक: 08/09/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.2024 को वादी श्री हारून पुत्र महबूब निवासी फाकरपुर शबरीपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस मढ तिराहे से चोरी हो जाने की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 377/2024 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाहन चोरी की घटनाओ की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 शातिर वाहन **चोर/अभियुक्तगण 1. शाहबाज पुत्र अब्दुल मजीद नि0 ग्राम नाजिरपुरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर, 2. सागर पुत्र लिल्लू नि0 चकदेवली थाना कोतवाली देहात सहारनपुर व 3. हिमांशु उर्फ गोलू पुत्र फूल कुमार नि0 ग्राम चकदेवली थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को मढ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, इनके विस्तृत आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पुछताछ- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग पहले मोटर साईकिल को चिन्हित करते व उसके मालिक की निगारानी करते है, जैसे ही वाहन का मालिक इधर उधर चला जाता है तभी हम लोग मोटरसाईकिल का लॉक तोडकर चोरी कर लेते है। दिनांक 05.09.24 को दिन में करीब 4.00 बजे मढ पुलिया से हम तीनो ने मिलकर ये मोटरसाईकिल स्पलैन्डर प्लस UP11CQ0211 तथा दिनांक 02.09.24 को रात्रि के समय टीला नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर से दूसरी मोटरसाइकिल UP11X6655 चोरी की थी। आज हम तीनो लोग इन दोनो मोटरसाईकिलो को बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शाहबाज पुत्र अब्दुल मजीद नि0 ग्राम नाजिरपुरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. सागर पुत्र लिल्लू नि0 चकदेवली थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. हिमांशु उर्फ गोलू पुत्र फूल कुमार नि0 ग्राम चकदेवली थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शाहबाज उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 224/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सागर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 224/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 224/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 622/21 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मोटरसाइकिल UP11CQ0211 (सम्बन्धित मु0अ0स0 377/24 धारा 303(2) भादवि थाना को0 देहात, स0पुर)
- 01 मोटरसाइकिल UP11X6655 (सम्बंधित मु0अ0स0 224/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0नगर, स0पुर)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2- है0का0 839 कपिल राणा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3- का0 2450 हासिम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4- का0 2497 किशनवीर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 08-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोरी के मुकदमें वांछित चल रहे **अभियुक्त अनुज पुत्र अशोक निवासी ग्राम खुशहालीपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 105/2024 धारा 318(4)/345(3)/317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में सुन्दरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनुज पुत्र अशोक निवासी ग्राम खुशहालीपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त अनुज उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 198/2016 धारा 392/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 175/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ सहारनपुर
3. मु0अ0स0 223/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
4. मु0अ0स0 239/2021 धारा 363/366 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 105/2024 धारा 318(4)/345(3)/317(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिहारीगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री वेदप्रकाश थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. है0का0 233 राकेश कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

दिनांक: 08.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर, मोबाइल व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु/मादक पदार्थो/अवैध अस्लाह की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 07.09.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त राजकुमार पुत्र बलकार निवासी ग्राम बहरामपुरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम टिडौली गंगोह रोड से गिरफ्तार किया । जिसके कब्जे से 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल फोन व 01 मोटरसाइकिल बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 313/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । बिना कागजात की मोटरसाइकिल को मौके पर ही 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयानः- अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त ने बताया कि साहब मैं कक्षा 10 वी तक पढ़ा लिखा हूँ। आज मैं और मेरा दोस्त जो जंगल की तरफ भाग गया है, दोनो आने जाने वाले व्यक्तियो से लूट करने के इरादे से बिना नम्बर की मोटरसाइकिल से निकले थे, कि आपने मुझे पकड़ लिया और मेरा दोस्त भाग गया। मैं घर से 10 कारतूस व एक तमंचा लेकर निकला था । जिनमें से 5 कारतूस मैने अपने पास रख लिये थे और 5 कारतूस व तमंचा 315 बोर मैने अपने साथी को दे दिया था । मुझसे जो 5 कारतूस मिले है वह वही कारतूस है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. राजकुमार पुत्र बलकार निवासी ग्राम बहरामपुरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहास का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 156/20 धारा 188 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मोबाईल फोन ओप्पो कम्पनी
- 01 मोटर साईकिल स्प्लेण्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भड़ाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 497 गौरव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 08.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मुकदमे मे 02 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.08.2024 को वादी श्री अंकित पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र निवासी ग्राम नल्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. रविन्द्र पुत्र मगनपाल व 2. रेखा पत्नी रविन्द्र निवासीगण ग्राम नल्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर द्वारा वादी के पिता को छत से धक्का दे देना, जिससे उपचार के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो जाने की सूचना के आधार पर थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 279/2024 धारा 105 बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनि0 पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे 02 वांछित **अभियुक्तगण 1. रविन्द्र पुत्र मगनपाल निवासीगण ग्राम नल्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर व 2. रेखा पत्नी रविन्द्र निवासीगण ग्राम नल्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को ग्राम नल्हेड़ा गुर्जर से गिरफ्तार किया गया। । अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त रविन्द्र ने पूछने पर बताया कि हमारा सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर राजेन्द्र के साथ कहा सुनी हो रही थी इसी बीच राजेन्द्र को धक्का लग गया और वह छत से गिर गया। जिससे चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रविन्द्र पुत्र मगनपाल निवासी ग्राम नल्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. रेखा पत्नी रविन्द्र निवासी ग्राम नल्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री विनय शर्मा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. का0 219 प्रवीण कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
5. म0का0 404 नजमा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

दिनांकः 08.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा भिन्न-भिन्न मुकदमों के 07 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.09.2024 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा **07 वारंटी अभियुक्तगण 1. गुलबहार पुत्र भूरा नि0 कैलाशपुर थाना गागलहेडी स0पुर** सम्बन्धित वाद स0- 695/2024 मु0अ0स0- 223/2023 धारा 323/325/504 भादवि में, **2. इमरान पुत्र भूरा नि0 कैलाशपुर थाना गागलहेडी स0पुर** सम्बन्धित वाद स0- 695/2024 मु0अ0स0- 223/2023 धारा 323/325/504 भादवि में**, 3. सचिन पुत्र राकेश नि0 कैलाशपुर थाना गागलहेडी स0पुर** समबन्धित वाद स0- 280/2022 मु0अ0स0- 189/2016 धारा 10 यूपी गुण्डा में, **4. आशीष उर्फ आशू पुत्र जयपाल नि0 ग्राम खजूरी अकबरपुर थाना गागलहेडी स0पुर** सम्बन्धित वाद स0- 3076/2022 मु0अ0स0- 227/20 धारा 420/384/406 भादवि में **5. समीर पुत्र सराजू नि0 ग्रामं कोलकी थाना गागलहेडी स0पुर** सम्बन्धित वाद स0- 41/2022 मु0अ0स0- 57/2020 धारा 60/63 आबकारी एक्ट में**, 6. तसव्वर पुत्र नवाब नि0 ग्राम चांदपुर थाना गागलहेडी स0पुर** सम्बन्धित वाद स0- 471/21 मु0अ0स0- 420/19 धारा 323/504/506 भादवि में व **7. ताजिम पुत्र नबाव नि0 ग्राम चांदपुर थाना गागलहेडी स0पुर** सम्बन्धित वाद स0- 471/21 मु0अ0स0- 420/19 धारा 323/504/506 भादवि में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. आशीष पुत्र जयपाल नि0 खजूरी अकबरपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. गुलबहार पुत्र भूरा नि0 ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
3. तसव्वर पुत्र नबाव नि0 ग्राम चांदपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
4. ताजिम पुत्र नबाब नि0 ग्राम चांदपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
5. इमरान पुत्र भूरा नि0 ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
6. समीर पुत्र सराजू नि0 कौलकी कला थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
7. सचिन पुत्र राकेश कुमार नि0 ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

अभियुक्त आशीष उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 227/20 धारा 384/406/420 भादवि थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

अभियुक्त तस्व्वर उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 384/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0
2. मु0अ0सं0 92/23 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0

3. मु0अ0सं0 420/19 धारा 323/504/506 भादवि थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

अभियुक्त ताजिम उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 23/18 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशु क्रुरता
2. मु0अ0सं0 91/15 धारा 174ए भादवि
3. मु0अ0सं0 94/22 धारा 3/25 आयुध अधि0
4. मु0अ0सं0 373/18 धारा 4/25 आयुध अधि0
5. मु0अ0सं0 420/19 धारा 323/504/506 भादवि थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

अभियुक्त समीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 42/2024 धारा 379/411 भादवि
2. मु0अ0सं0 57/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0
3. मु0अ0सं0 58/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

अभियुक्त सचिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 99/19 धारा 60 आबकारी अधि0
2. मु0अ0सं0 161/15 धारा 60 आबकारी अधि0
3. मु0अ0सं0 181/22 धारा ¾ जुआ अधि0
4. मु0अ0स0 189/16 धारा 10 गुण्डा अधि0
5. मु0अ0सं0 204/15 धारा 60 आबकारी अधि0
6. मु0अ0सं0 217/21 धारा 60 आबकारी अधि0
7. मु0अ)सं0 321/18 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

अभियुक्त गुलबहार उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 223/23 धारा 323/325/504 भादवि थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

अभियुक्त इमरान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 223/23 धारा 323/325/504 भादवि थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री डैनी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
3. हे0का0 431 अनुज राणा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
4. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
5. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
6. का0 12 टुकेश थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
7. एचजी 1322 सुरेन्द्र थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

दिनांक: 08.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड का आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.2024 को वादी की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त जतिन पुत्र प्रीतम निवासी रविदास मन्दिर के पास कस्बा व थाना नांगल जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने, वादी के लडके द्वारा मना करने व अभियुक्त जतिन द्वारा जान से मारने की धमकी देने की सूचना के आधार पर सम्बन्ध मे थाना नांगल पर मु0अ0सं0 254/24 धारा 75/77/78/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 08.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के मामलें में वांछित **अभियुक्त अभियुक्त जतिन पुत्र प्रीतम निवासी रविदास मन्दिर के पास कस्बा व थाना नांगल जिला सहारनपुर** के शमशान घाट कस्बा नागल से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। को

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जतिन पुत्र प्रीतम निवासी रविदास मन्दिर के पास कस्बा व थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 मंजू शर्मा थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. का0 2359 अरविन्द कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर

दिनांक: 08.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा मारपीट के मुकदमें में वांछित चल रहे 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.06.2024 को वादी मो0 आकिल पुत्र मौ0 राशिद नि0 मौहल्ला कायस्थवाडा रॉयल पैलेस कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. फुरकान पुत्र सगीर, 2. इरफान पुत्र सगीर, 3. दिलनवाज पुत्र फुरकान निवासीगण मौ0 अब्दुलहया कस्बा व थाना देवबन्द व एक अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के आफिस रायल पैलेस देवबन्द में घुसकर वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने, आफिस का सामान तोडने, जरूरी कागजात फाड देने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 330/2024 धारा 323/504/506/452/427 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के प्रभावी कार्यवाही करते हुए मारपीट के मामलें में वांछित **अभियुक्त दिलनवाज पुत्र फुरकान निवासी मौ0 अब्दुलहया कस्बा व थाना देवबन्द** को कस्बा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर 01 तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त दिलनवाज उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि हम लोगो का मोहम्मद अकील पुत्र मोहम्मद राशिद से झगड़ा चल रहा था, वह हमारा रिश्तेदार भी लगता है। उसने धोखेबाजी से हमारी एक जमीन को कब्जा लिया था हमसे पैसे भी ले लिए थे और वह जमीन भी हमारे नाम नहीं कर रहा था घटना वाले दिन मैं, मेरे पिताजी व चाचा अकील के गेस्ट हाउस रॉयल पैलेस पर पहुंचे जहां वह अपने ऑफिस में बैठा था हम चाहते थे कि वह हमारे रुपए वापस कर दे इसी बात को लेकर हम मे कहा सुनी हो रही थी लेकिन वह बार-बार उठकर मेरे पापा को गाली गलौज कर रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया मेरे पास मौजूद तमंचा को निकाल कर मैने उसकी कनपटी पर रख दिया और कहा कि चुपचाप बैठ और जैसे मेरे पिता व चाचा कहते हैं वैसे मान जा और इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दे इसी दौरान उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए तो हमें मौके से भागना पड़ा। जो तमंचा आपको मेरे पास से मिला है यह वही तमंचा है जो घटना वाले दिन मेरे पास था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दिलनवाज पुत्र फुरकान निवासीगण मौ0 अब्दुलहया कस्बा व थाना देवबन्द

अभियुक्त दिलनवाज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 1062/2019 धारा 147/148/149 /332 /336 /353 आईपीसी
2- मु0अ0स0 1061 /2019 धारा 3 एससी एसटी एक्ट 147 /323 /325/336/504 आईपीसी
3- मु0अ0स0 707/2023 धारा 3/4/25/27 अयुध अधिनियम व धारा 307 आईपीसी
4- मु0अ0स0 435/22 धारा 420/406 भादवि थाना देवबन्द ,सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमन्चा 315 बोर।
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 794 अरूण सोलंकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 2334 रवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।